न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार गडरारोड जिला बाड़मेर

राजस्व प्रकरण संख्या 62/2019 अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

सायल

राजस्थान सरकार जरिये बनाम श्री गणपतसिंह आम्बसिंह

पटवारी हल्का तामलोर जाति राजपूत निवासी तामलोर

तहसील गड़रारोड जिला बाड़मेर

निर्णय

पत्रावली आज़ बमुकाम गड़रारोड़ में पेश हुई गैरसायल ... हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का तामलोर प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने ग्राम तामलोर ... 1065/251 ... रकबा 804.09 बीघा में से 5 बीघा किस्म ओरण ... राजकीय ... अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल ... धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्ट्रर कर गैर सायल को जरिये ... सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का ... अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त राजकीय भूमि से बेदखल करने के आदेश ... साथ ही वार्षिक लगान का 50 गुणा जुर्माना राशि रूपये 50 अक्षरे पचास ... आरोपित किया जाता है। जो ग़ैर सायल से वसुल हो।

निरीक्षक भू अभिलेख बालेबा को आदेशित किया जाता है कि ... को तत्काल कब्जा बहक सरकार प्राप्त फसल निलामी फर्द वास्ते अनुमोदन ... योम में पेश करे। पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि वह गैरसायल को ... बेदखल कर भूमि का क़ब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना आवश्यक रूप से ... करें। पत्रावली टी.आर.ए. को मांग कायमी हेतु भेजी जावें।

निर्णय दिनांक 18.10.19 को सरेआम सुनाया गया।

तहसीलदार गडरारोड़

तहसीलदार गडरारोड़

जुमाना 50 फराल नि. 325
कुल योग 375 जि.के पृष्ठ सं. 37
वर्ष 2019-20 में इन्द्राज किया गया

तहसील राजस्व लेखाकार